



बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०,
खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२, पटना-८००००१

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम परिवहन नीति-२०१८ में निहित प्रावधान एवं बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के तहत एकल निविदा के निपटारे एवं जिला परिवहन समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर मार्ग दर्शन एवं समीक्षा हेतु मुख्यालय स्तर पर एक मुख्यालय परिवहन समिति गठित की गयी है, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार है:-

1. प्रबंध निदेशक - अध्यक्ष
2. निदेशक पर्षद द्वारा मनोनित किये गये कोई एक सदस्य - सदस्य
3. मुख्यालय में पदस्थापित वरीय बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी - सदस्य

“मुख्यालय परिवहन समिति” सक्षम प्राधिकार के रूप में कार्य करेगी इसके अलावे यदि जिला परिवहन समिति वर्तमान में रवीकृत परिवहन दर पर परिवहन अभिकर्त्ताओं का चयन करेगी, तो ऐसे मामले की समीक्षा भी मुख्यालय परिवहन समिति द्वारा की जायेगी।

अनियमितता बरतने के आरोप में या एकरानामा अवधि समाप्ति के उपरान्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के संसमय उठाव, परिवहन एवं वितरण को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वच्छ छवि वाले कार्यरत परिवहन अभिकर्त्ता का चयन, नये परिवहन-सह-हथालन अभिकर्त्ता की नियुक्ति होने तक उक्त जिले के निर्धारित दर पर या फिर विभागीय रूप से खाद्यान्न का परिवहन जिला परिवहन समिति की अनुशंसा पर मुख्यालय परिवहन समिति द्वारा किया जा सकेगा।

गठित मुख्यालय परिवहन समिति के समक्ष जिला परिवहन समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर मार्गदर्शन एवं समीक्षा तथा परिवहन अभिकर्त्ताओं से प्राप्त पूर्णविचार हेतु अपील अभ्यावेदन पर सुनवाई हेतु निदेशक पर्षद की १५४वीं० बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में निगम मुख्यालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-११०५५ दिनांक-२५.१.०.१८ द्वारा निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को मुख्यालय परिवहन समिति का सदस्य मनोनित किया गया है।

निगम मुख्यालय परिवहन समिति में मुख्यालय में पदस्थापित वरीय बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को सदस्य नामित किया जाना है। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम परिवहन नीति-२०१८ में निहित प्रावधान के तहत श्री उदय कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति), निगम मुख्यालय, पटना को मुख्यालय परिवहन समिति का सदस्य मनोनित किया जाता है।

प्रस्ताव में प्रबंध निदेशक, निगम मुख्यालय, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

महाप्रबंधक, ज०वि०।

ज्ञापांक-०२:१५:५३:०१:२०१८ १२३०६

दिनांक-०१/१४/१८

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक, ज०वि०। १२.१८